प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिव कुमार सोनी पुत्र स्व0 अमृत लाल, निवासी जनपद-जौनपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-16636/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023), दिनांक 19.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिव कुमार सोनी पुत्र स्व0 अमृत लाल (दिनांक 17.10.2022 तक बंदी की आयु 51 वर्ष 02 माह 19 दिन), ग्राम-आलमगंज, थाना-बरसठी, जनपद-जौनपुर हाल पता-पलकधारी यादव का मकान कस्बा खेतासराय, थाना-खेतासराय, जनपद-जौनपुर का निवासी है। बंदी दिनांक 04.06.2008 को अपनी भतीजी मंजू सोनी को मायके ले जाने के लिए उसकी ससुराल गया था। बिजली आने पर सभी लोग कमरे में सोने आ गये। मंजू सोनी के चाचा एवं उसकी बेटी छत पर रह गये। कुछ समय बाद उसकी बेटी के चिल्लाने पर छत पर जाकर देखा तो बंदी उसकी 07 वर्षीय बेटी रिंकी के साथ बलात्कार कर रहा था। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 456/2008 में भा0द0वि0 की धारा-376(2)(च) के अन्तर्गत मा० न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर के आदेश दिनांक 09.05.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 17.10.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष 04 माह 12 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष 03 माह 19 दिन की सजा की मात्र भोगी गयी सजा। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी के परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति सामान्य है, समयपूर्व रिहाई का काई औचित्य नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 04.06.2008 को अपनी भतीजी मंजू सोनी की 07 वर्षीय अवोध बेटी रिंकी के साथ बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शिव कुमार सोनी पुत्र स्व० अमृत लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिव कुमार सोनी (बंदी संख्या-95/2019) पुत्र स्व0 अमृत लाल, निवासी जनपद-जौनपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-183/2026/2440(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।
2- पुलिस अधीक्षक, जौनपुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-183/2026/2440/22-2-2023-17(411)/2024

दिनांक 17 मार्च, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिव कुमार सोनी पुत्र स्व0 अमृत लाल (दिनांक 17.10.2022 तक बंदी की आयु 51 वर्ष 02 माह 19 दिन), ग्राम-आलमगंज, थाना-बरसठी, जनपद-जौनपुर हाल पता-पलकधारी यादव का मकान कस्बा खेतासराय, थाना-खेतासराय, जनपद-जौनपुर का निवासी है। बंदी दिनांक 04.06.2008 को अपनी भतीजी मंजू सोनी को मायके ले जाने के लिए उसकी ससुराल गया था। बिजली आने पर सभी लोग कमरे में सोने आ गये। मंजू सोनी के चाचा एवं उसकी बेटी छत पर रह गये। कुछ समय बाद उसकी बेटी के चिल्लाने पर छत पर जाकर देखा तो बंदी उसकी 07 वर्षीय बेटी रिंकी के साथ बलात्कार कर रहा था। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 456/2008 में भा0द0वि0 की धारा-376(2) (च) के अन्तर्गत मा० न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर के आदेश दिनांक 09.05.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 17.10.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष 04 माह 12 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष 03 माह 19 दिन की सजा की मात्र भोगी गयी सजा। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी के परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति सामान्य है, समयपूर्व रिहाई का काई औचित्य नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 04.06.2008 को अपनी भतीजी मंजू सोनी की 07 वर्षीय अवोध बेटी रिंकी के साथ बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शिव कुमार सोनी पुत्र स्व० अमृत लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।